

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक:

1 Str 2021

आदेश

स्थानीय निकायों में नगरों के विकास के साथ ही कई विशिष्ट गतिविधियां का विकास हुआ है, उदाहरणार्थ जोधपुर में AIIMS के आस-पास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास; बीकानेर में रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र; कोटा में गुमानपुरा रोड व इन्द्रप्रस्थ योजना का विकास; जयपुर में सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया का विकास, जे.डी.ए. की प्रमुख व महत्वपूर्ण प्रस्तावित सड़को का डिमार्केशन प्रोजेक्ट, जयपुर शहर का मास्टर डेवलेपमेंट प्लान का रिन्वू व विजन 2050, शहरो की ऐसी प्रमुख सड़के जो मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित हैं का मॉडल तैयार करना; उदयपुर में अंतराष्ट्रीय स्तर की बस स्टैण्ड योजना; किशनगढ़ में ट्रांसपोर्ट हब तथा स्थानीय निकायो की अन्य विशिष्ट योजनाओं आदि। इसकी मॉनिटरिंग हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग को अधिकृत किया जाता है। उक्त परियोजनाओं में सलाह हेतु श्री एस.एच. संचेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन विभाग) को मनोनीत किया जाता है। इनके निर्देशन में समस्त विशिष्ट प्रोजेक्ट्स का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

उपरोक्त प्रोजेक्ट तैयार करने एवं समस्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त आवश्यक सुविधाएँ एवं स्टाफ प्रदान किया जावेगा। मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा समस्त प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर किया जाकर समय-समय पर कार्य की प्रगति से नगरीय विकास विभाग को अवगत करवाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत्त आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री एच एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, (नगर नियोजन विभाग)
9. अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम